Pr. upload
2/9

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राज. जयपुर

दूरभाष सं. 0141–2222469, 2226760 फेक्स सं. 0141–2222403 ईमेल : वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.55( )अभि. / सीई / डीएलबी / 2018 / सड़क मरम्मत कार्य / 75426-620 दिनांक : 20/09/18

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषदें / पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्रूद्धार कार्यो के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 1396–1586 दिनांक 22.09.2017, 2846–3076 दिनांक 13.10.2017 एवं 24057–24248 दिनांक 28.03.2018 के क्रम में।

वर्तमान में राज्य में मानसून सक्रिय है एवं राज्य के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने के कारण अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में बाहरी व आंतरिक सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। क्षतिग्रस्त व टूटी हुई सड़कों व सड़क पर गडढे हो जाने के कारण आमजन व यातायात के आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत RUIRP Phase - I & II कें तहत राज्य की समस्त नगर निकायों में सड़क सुधार / मरम्मत / पेच रिपेयर / पुनर्रूद्धार (Road Repair/Patch Work/Renovation/Restoration) आदि के कार्य करवाये जा रहे हैं। विभाग के पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 1396–1586 दिनांक 22.09.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त नगर निकायों को निर्देश प्रदान किये गये हैं कि जिन नगर निकाय क्षेत्रों में RUIDP/RUDSICO द्वारा जब तक सीवरेज प्रोजेक्टस कार्य पूर्ण कर नगर निकाय को हस्तान्तरित नहीं कर दिये जाते, तब तक नगर निकायों द्वारा इन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण / सुधार / पुनर्रूद्धार (Road/Restoration/Renovation) का कार्य नगर निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों / संसाधनों से नहीं करवाया जावे। उक्त शर्त का उल्लेख विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13.10.2017 एवं दिनांक 28.03.2018 में भी क्रमशः बिन्दु सं. 14 व 09 में किया गया है।

अतः नगरीय क्षेत्रों में सड़क मरम्मत / सुधार कार्य करवाने हेतु उक्त आदेश दिनांक 22.09.2017 में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है :–

1. यदि RUIDP/RUDSICO द्वारा सीवरेज कार्य में सम्मिलित Scope of Work में लिये गये आईट्म के अनुसार सड़क की मरम्मत / सुधार का कार्य पूर्ण करवा दिया गया हैं एवं नगर परिषद को विधिवत रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया है / किया जा रहा है, तो

नगर निकाय एवं सम्बन्धित संस्था (RUIDP/RUDSICO) के अधिशाषी अभियन्तागण इन कार्यो का संयुक्त रूप से तकनीकी पर्यवेक्षण करते हुये परियोजना के Scope of Work/ToR/अनुबन्ध में वर्णित कार्यो को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

2. RUIDP/RUDSICO द्वारा सीवरेज के कार्यो के दौरान रोड़ कटिंग हिस्से का Restoration Work पूर्ण कर नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया है एवं वर्तमान में उक्त Restoration Work Defect Liability Period (DLP) अवधि में नहीं है, तो उन सड़कों पर पेच रिपेयर/मरम्मत/सुधार कार्य करवाये जा सकते हैं।
3. जिन शहरों में निकट भविष्य में RUIDP/RUDSICO द्वारा सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत सीवर लाईन ड़ालने का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित नहीं हैं, वहां मानसून के दौरान टूटी हुई सड़कों/गड्ढे युक्त सड़कों पर सड़क मरम्मत/पेच रिपेयर/सुधार (Road Repair/Patch Work/Renovation) के कार्य करवाये जा सकते हैं।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त सड़क मरम्मत/सुधार कार्यो में दोहराव (Overlaping) नहीं हो।

उपरोक्त निर्देशों की पालना की जिम्मेदारी सम्बन्धित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की संयुक्त रूप से होगी। उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/2018/सड़क मरम्मत कार्य/75621 – 75955 दिनांक : 20/09/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त जिला प्रभारी सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
9. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

12. परियोजना निदेशक, RUIDP, जयपुर।
13. कार्यकारी निदेशक, RUDSICO, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक (अरबन इन्फ्रा), RUDSICO, जयपुर।
15. अतिरिक्त परियोजना निदेशक, RUIDP, जयपुर।
16. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को समाचार–पत्र/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशनार्थ।
17. प्रोग्रामर, IT अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

20/9/18
मुख्य अभियन्ता